न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / (F. T. C.) झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

विषय- नोटिस बावत प्रकीर्ण अपील सं० 429/ 2021 राज्य बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरूद्ध जारी सम्मन के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सादर ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थिया ने जो सम्मन जारी किया है चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरूद्ध उसमें कोई सफेदा नहीं लगा है और उक्त जारी किये गये सम्मन में मुकदमा न० और धारा एवं थाने का उल्लेख किया गया है ।

उक्त सम्मन को नवाबाद पैरोकार को दिनांक 01. 12. 2021 प्राप्त कराया गया जिसका विवरण सम्मन जारी करने वाले रजिस्टर में अंकित भी है ।

दूसरा सम्मन जो सफेदा लगा हुआ है उसकी प्रार्थिया को कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा कोई सम्मन कार्यालय से जारी किया गया ।जहां सम्मन पर सफेदा लगा हुआ है वहां कार्यालय लिपिक द्वारा prepared and check by me लिखा जाता है ।

प्रार्थिया की उपस्थिति में न तो चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने ना ही उनके द्वारा किसी ने कार्यालय में आकर कोई पत्रावली देखी न ही कोई फोटों खींची ।अगर प्रार्थिया की अनुपस्थिति में किसी ने कार्यालय में आकर फोटों खीची हो तो इसका प्रार्थिया को संज्ञान नहीं है ।

प्रार्थिया द्वारा जो भी सही तथ्य एवं जानकारी थी वह सारे तथ्य एवं जानकारी श्रीमान जी को बता दी गयी है कोई भी तथ्य एवं जानकारी छिपायी नहीं गयी ।आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

प्रार्थीया

Khushnuma

दिनांक- 20. 12. 2021

(खुशनुमा)

(सहायक लिपिक)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / (F. T. C.) झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)